

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी

मुकाम- धोद मु. सीकर



श्रवण कुमार

बनाम

गुल्लाराम आदि

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र

मु. नं. 49/2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
22.11.2019	<p>वकील प्रार्थी द्वारा यह आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी ने प्रकरण आवश्यक प्रकृति का मानते हुए स्थगन दिये जाने के निवेदन किये जाने पर वकील प्रार्थी की अंतरिम स्थगन पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से अंतरिम रूप से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात खसरा सं. 879 रकबा 6.28 हैक्टेयर, खसरा सं. 884 रकबा 2.69 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 8.97 हैक्टेयर वाके ग्राम मुण्डवाडा तहसील धोद जिला सीकर तथा वादग्रस्त आराजियात खसरा सं. 123 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा सं. 140 रकबा 10.37 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 11.11 हैक्टेयर वाके ग्राम काशी का बास तहसील धोद जिला सीकर में आगामी तारीख पेशी तक मीके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी. नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 20.12.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी  धोद मु. सीकर </p>	<p>21.11.19  20/12/19</p> <p>वकील प्रार्थी व प्रार्थी उपस्थित होकर विवेदन किया कि प्रकरण में राजीनामा होने के कारण आगे नहीं चलना चाहते हैं। जिसका डॉक्युमेंट पेशवाली की अपेक्षा पर डॉक्यु भी किया। वकील प्रार्थी व प्रार्थी ने विवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को पुनः पेशवाली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी व प्रार्थी के विवेदन पर के सुलाखित प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारिज किया जागा है। मूल वादगी वकील प्रार्थी के विवेदन पर खारिज हो चुका है। वकील प्रार्थी में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पेशवाली केवल सुनार एजेंट के तलब के लिए दाखिल करा है।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  धोद मु. सीकर </p>

